

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली
पंजाब नेशनल बैंक शाखा टोड़ाभीम जरिये प्राधिकृत अधिकारी सीताराम गुप्ता - प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स के.जी.एन. पोल्ट्री फार्म जरिये प्रो० श्री विजेन्द्र सैनी पुत्र श्री राम सिंह सैनी, वार्ड नं. 15, टोड़ाभीम जिला करौली राज. - अप्रार्थी/ऋणी व बंधककर्ता
2. श्रीमती शिवदेई पत्नी श्री रामसिंह सैनी वार्ड नं. 15 टोड़ाभीम - जमानती

मु.नं.- 30/19 कि.मु.-अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002

ता.रजु-18.09.2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी है
18.09.2019	<p>प्रार्थी की ओर से श्री रामरज, एडवोकेट द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी/ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से सी.सी. 5,15,000 रुपये व टर्म 7,75,000 रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 900 दिनांक 31.12.13 जो वार्ड नं. 15, टोड़ाभीम, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज. में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 1660.59 वर्गफुट है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार है:-पूर्व में घर लोड्या राम मीणा, पश्चिम में सड़क, उत्तर में गली/घर प्रभु सैनी, दक्षिण में गली/घर मुरलीधर सैनी है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।</p> <p>अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31.03.2019 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31.03.2019 तक 12,37,018.78 (बारह लाख सैंतीस हजार अठारह रुपये अठहत्तर पैसे मात्र) रुपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 10.05.2019 को अप्रार्थी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु अप्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत् ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक के द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 10.05.2019 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी</p>	

जिला कलक्टर
करौली

तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 900 दिनांक 31.12.13 जो वार्ड नं. 15, टोड़ाभीम, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज. में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 1660.59 वर्गफुट है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैं:-पूर्व में घर लोड्या राम मीणा, पश्चिम में सड़क, उत्तर में गली/घर प्रभु सैनी, दक्षिण में गली/घर मुरलीधर सैनी है, को अप्रार्थी ने प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली